

न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर जिला-सलूम्वर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 21/2022 रा.वा.
जी.सी.एम.एस.नम्बर-2022/150
उनवान

1. श्री कालुलाल पिता नंगा डांगी उम्र बालिग
 2. श्री पेमाराम पिता नंगा डांगी उम्र बालिग
 3. श्री रमेश पिता देवीलाल डांगी उम्र बालिग
 4. श्रीमती लिला बाई पत्नी देवीलाल डांगी उम्र बालिग
 5. श्रीमती कुरीबाई पत्नी नंगा डांगी उम्र बालिग
- सभी निवासी गींगला तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)।

— वादीगण

बनाम

1. श्री उदा पिता पुंजा डांगी उम्र बालिग
 2. श्री कालु पिता भीमा डांगी उम्र बालिग
 3. श्रीमती वेलुबाई पति मावजी उम्र बालिग
- सभी निवासी गींगला तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सलूम्वर, जिला सलूम्वर (राज.)

—प्रतिवादीगण



वाद बाबत् पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक:- 24/03/2026

उपस्थित:- श्री दिनेश कुमार जैन अधिवक्ता —वादीगण
श्री विरेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

वादीगण ने वाद बाबत् पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण मे निर्णय दिनांक 31-07-2024 द्वारा प्रकरण मे मौजा एवं पटवार हल्का गींगला तह. सलूम्वर जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 592-577 आराजी नम्बर 3106 से लगाकर 3122 तक कुल किता 17 कुल रकबा 2.4800 हैक्टेयर कृषि भूमि मे दर्ज खातेदारो के मध्य हिस्से अनुसार बंटवाडे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलूम्वर के पत्रांक 689 दिनांक 09-10-2025 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष को करवाया गया। उभयपक्ष ने प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए माफिक पालना रिपोर्ट प्रकरण मे बंटवाडे की अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अतः उभयपक्ष को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त मौजा एवं पटवार हल्का गींगला तह. सलूम्वर जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 592-577 आराजी नम्बर 3106 से लगाकर 3122 तक कुल किता 17 कुल रकबा 2.4800 हैक्टेयर

उनवान-श्री कालुलाल बनाम श्री उदा व अन्य

कृषि भूमि में आराजीयात की भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

1. खातेदार का नाम- कालुलाल पेमाराय पुत्र नंगा, कुशीबाई पत्नी स्वं नंगा, रमेश कुमार पुत्र स्व. देवीलाल, लीलाबाई पत्नी स्व. देवीलाल जाति डांगी शामलाती रूप से आराजी नम्बर/रकबा 3106/1/0.20, 3107/0.17, 3108/0.04, 3109/0.09, 3111/0.01, 3112/0.13, 3115/0.22, 3116/0.23, 3117/0.16, 3118/0.24, 3121/0.08, 3122/0.08 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 1.65 हैक्टेयर।
2. खातेदार का नाम- उदा पुत्र पंजा, कालु पुत्र भीमा, वेलुबाई पत्नी मावजी जाति डांगी सा.देह खातेदार शामलाती रूप से आराजी नम्बर/रकबा 3106/2/0.10, 3110/0.13, 3113/0.16, 3114/0.20, 3119/0.14, 3120/0.10 कुल कित्ता 06 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर।

पालना रिपोर्ट क्रमांक 689 दिनांक 09-10-2025 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय जूज हिस्सा है। बैंक रहन संबंधित आराजीयात की भूमि पर बदस्तुर रखते हुए एवं पक्षकारों के हिस्से अनुसार खाते पृथक-पृथक कायम किये जावे तथा माफिक निर्णय अन्तिम डिक्री जारी की जाकर पालार्थ तहसीलदार सलुम्बर को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय दिनांक 24/03/26 को सरे इजलास सुनाया गया।




(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
सहायक कलेक्टर सलुम्बर
जिला-सलुम्बर
जिला सलुम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला-सलुम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 21/2022 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर-2022/150

उनवान

1. श्री कालुलाल पिता नंगा डांगी उम्र बालिग
 2. श्री पेमाराम पिता नंगा डांगी उम्र बालिग
 3. श्री रमेश पिता देवीलाल डांगी उम्र बालिग
 4. श्रीमती लिला बाई पत्नी देवीलाल डांगी उम्र बालिग
 5. श्रीमती कुरीबाई पत्नी नंगा डांगी उम्र बालिग
- सभी निवासी गींगला तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)।

— वादीगण

बनाम

1. श्री उदा पिता पुंजा डांगी उम्र बालिग
 2. श्री कालु पिता भीमा डांगी उम्र बालिग
 3. श्रीमती वेलुबाई पति मावजी उम्र बालिग
- सभी निवासी गींगला तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत पांती बंटवाडा, घोषणा कराने खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक:- 24/03/26

वादीपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री दिनेश कुमार जैन एवं प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री विरेन्द्र कुमार पटेल की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 24/03/26 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा एवं पटवार हल्का गींगला तह. सलुम्बर जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 592-577 आराजी नम्बर 3106 से लगाकर 3122 तक कुल किता 17 कुल रकबा 2.4800 हैक्टेयर कृषि भूमि में आराजीयात की भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं—

1. खातेदार का नाम— कालुलाल पेमाराम पुत्र नंगा, कुरीबाई पत्नी स्वं नंगा, रमेश कुमार पुत्र स्व. देवीलाल, लीलाबाई पत्नी स्व. देवीलाल जाति डांगी शामलाती रूप से आराजी नम्बर/रकबा 3106/1/0.20, 3107/0.17, 3108/0.04, 3109/0.09, 3111/0.01, 3112/0.13, 3115/0.22, 3116/0.23, 3117/0.16, 3118/0.24, 3121/0.08, 3122/0.08 कुल किता 12 कुल रकबा 1.65 हैक्टेयर।
2. खातेदार का नाम— उदा पुत्र पुंजा, कालु पुत्र भीमा, वेलुबाई पत्नी मावजी जाति डांगी सा.देह खातेदार शामलाती रूप से आराजी नम्बर/रकबा 3106/2/0.10,

जनमान-श्री कालुलाल बनाम श्री उदा व अन्य

3110/0.13, 3113/0.16, 3114/0.20, 3119/0.14, 3120/0.10 कुल किता 06
कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर।

पालना रिपोर्ट क्रमांक 689 दिनांक 09-10-2025 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय का जूज हिस्सा है। बैंक रहन संबंधित आराजीयात की भूमि पर बदस्तुर रहेगा। पालार्थ तहसीलदार सलुम्बर को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

इस वाद के खर्चे पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 24/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर सलुम्बर
सलुम्बर
जिला सलुम्बर

वादे के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	04	00	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	02	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपयेपरलीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस तलवाना	01	00	6. कमिश्नर की फीस	-	00
7. आदेशिका की तामील	02	00			
8. स्टाम्प	-	00			
योग	07	00		02	00

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर सलुम्बर
सलुम्बर
जिला सलुम्बर